संख्या-6/2020/291/एक-5-2020-26/2015

प्रेषक,

राम सुमेर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 25 जून, 2020**

विषय- जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2746/12(भवन)-3/2013 (आवासीय) दिनांक 24 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-397/एक-5-2015-26/2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 132.00 लाख अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में कार्य की निरन्तरता बनाये रखने हेतु शासनादेश संख्या-308/एक-5-2016-26/2015, दिनांक 18 मई, 2016 द्वारा अवशेष धनराशि द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में रू0 132.23 लाख अर्थात मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु आंकलित लागत रू0 572.29 लाख जी0एस0टी0 सहित की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 308.06 लाख (रू0 तीन करोड आठ लाख छः हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में निहित व्यावस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुनः कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(7) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त अवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्सक सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भन किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(10) प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधान, डिजाईन में संशोधन, उच्च विशिष्टियों का प्रयोग एवं स्वीकृत परियोजना के स्कोप परिवर्तन आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मानकीकरण विषयक शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-3 के अनुसार निर्माण करते समय निर्धारित स्पेसीफिकेशन में परिवर्तन अथवा वित्तीय अनुमोदन के अतिरिक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा यदि बिना शासन की पूर्वानुमति से कराया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व सम्बिन्धित कार्यदायी संस्था/स्थाओं का होगा।

(14) अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जायेगा।

(15) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित जेम की व्यवस्था लागू किये जाने से सम्बन्धित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 में निहित प्राविधानों एवं क्रय की व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायसी भवन-106-साधारण पूल आवास-07 -प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-846/दस-2020, दिनांक 18 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम सुमेर
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2020/291(1)/एक-5-2020-26/2015 :: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, बांदा ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य् निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ/ संबंधित परियोजना प्रबंधक।
8- राजस्व अनुभाग-6
9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

सत्य, प्रकाश
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।